भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1819

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता

1819. श्री हरीभाई पटेल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घट रही है और यदि हां, तो 2030 तक संभावित प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं और इसके क्या परिणाम रहें हैं; और

(ग) भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): किसी भी क्षेत्र या देश की औसत वार्षिक जल उपलब्धता काफी हद तक जल-मौसम विज्ञान और भूवैज्ञानिक कारकों पर निर्भर करती है, हालांकि, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता देश की जनसंख्या पर निर्भर करती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कम होती जा रही है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा किए गए "अंतरिक्ष इनपुट का उपयोग करते हुए भारत में जल उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन, 2019" शीर्षक अध्ययन के आधार पर, वर्ष 2021 और 2031 के लिए औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता क्रमशः 1486 घन मीटर और 1367 घन मीटर आंकी गई है।

(ख) और (ग): चूंकि 'जल' राज्य का विषय है, इसलिए जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए कदम मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाते हैं, जिनका प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के मुद्दे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

भारत सरकार, राज्य के साथ साझेदारी में, देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू कर रही है। मिशन की घोषणा के समय, केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल का पानी उपलब्ध था।

मिशन के शुभारंभ के बाद से, 03.12.2024 तक 12.09 करोड़ से अधिक लोगों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। इस प्रकार, 19.34 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, लगभग 15.33 करोड़ (79.24%) ग्रामीण परिवारों को वर्तमान में नल का पानी मिल रहा है।

भारत सरकार ने वर्ष 2015 में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, खास तौर पर 500 शहरों में हर घर में पानी की आपूर्ति और नल कनेक्शन तक पहुंच। अब तक 43,241.8 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,390 परियोजनाओं की नींव रखी जा चुकी है, जिनमें 29,310 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,180 पूरी हो चुकी परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से और अन्य कार्यक्रमों के साथ मिलकर 189 लाख घरों में पानी के नल कनेक्शन दिए गए हैं।

इसे आगे बढ़ाते हुए, वर्ष 2021 में अमृत 2.0 लॉन्च किया गया है, जो देश के सभी वैधानिक शहरों को कवर करता है ताकि जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित की जा सके और शहरों को 'जल सुरक्षित' बनाया जा सके। गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति की उपलब्धता के लिए, अब तक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की सर्वोच्च समिति द्वारा ₹ 1,14,073.65 करोड़ (ओएंडएम सहित) की 3,596 जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को लागू कर रही है। पीएमकेएसवाई-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत, राज्यों के परामर्श से वर्ष 2016-17 के दौरान 99 चालू प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई। इन परियोजनाओं में से, 62 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के एआईबीपी कार्य पूरे होने की सूचना दी गई है। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-2024 के दौरान देश में इन परियोजनाओं द्वारा 25.80 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होने की सूचना दी गई है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के विस्तार को मंजूरी दी गई है, जिसका कुल परिव्यय 93,068.56 करोड़ रुपये है। सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) की योजना पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत कार्यान्वित की जा रही है।

मिशन अमृत सरोवर को 24 अप्रैल, 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए जल संरक्षण करना है। मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित करना है।

जल शक्ति अभियान-I (जेएसए -I) 2019 में देश के 256 जल संकटग्रस्त जिलों के 2836 ब्लॉकों में से 1592 ब्लॉकों में चलाया गया था और इसे 2021 में “जल शक्ति अभियान: कैच द रेन” (जेएसए: सीटीआर) के रूप में विस्तारित किया गया था, जिसका विषय था “कैच द रेन - वेयर इट फाल्स, वेन इट फाल्स” ताकि देश भर के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) के सभी ब्लॉकों को कवर किया जा सके। अब, जेएसए: सीटीआर 2024 का पाँचवाँ संस्करण 9 मार्च, 2024 को पूरे देश में लॉन्च किया

गया है। जेएसए: सीटीआर 2024 के दौरान निम्नलिखित जल संबंधी कार्य/वनीकरण कार्य पूरे हो चुके हैं/चल रहे हैं।

जेएसए में देश भर में जल संबंधी कार्य सीटीआर :2024	
जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाएँ	8,70,757
पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार	2,13,586
पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएँ	3,59,188
वाटरशेड विकास	13,85,664
गहन वनरोपण	5,46,37,190
उन जिलों की संख्या जहाँ जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं	700
उन जिलों की संख्या जिन्होंने जल संरक्षण योजना तैयार की है	614

सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्र में पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने, विनियमन और नियंत्रण के लिए जल उपयोग दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई है। ब्यूरो देश में विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, उद्योग आदि में जल उपयोग दक्षता में सुधार को बढ़ावा देने के लिए एक सुविधाकर्ता की भूमिका निभाएगा।

केंद्रीय भूजल बोर्ड समय-समय पर निगरानी कुओं के एक नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर पूरे देश में भूजल स्तर की निगरानी कर रहा है। दीर्घकालिक आधार पर जल स्तर में गिरावट का आकलन करने के लिए, नवंबर 2023 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों की तुलना दशकीय औसत (2013-2022) से की गई है। जल स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि निगरानी किए गए लगभग 51.70% कुओं में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। भूजल स्तर में वृद्धि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की पहल का संचयी प्रभाव है।

भारत सरकार अटल भूजल योजना को लागू कर रही है, जो कि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य समुदाय के नेतृत्व में सतत भूजल प्रबंधन के माध्यम से भूजल स्तर में गिरावट को रोकना है। अटल भूजल योजना के लिए इसकी शुरुआत से लेकर अब तक धन का आवंटन और उपयोग इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रूपये में)

वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
2020-21	125	123.03
2021-22	330	327.48
2022-23	700	637.64
2023-24	1774.57	1738.21
2024-25	1778	71.24 (25.11.2024 तक)

देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से "पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986" की धारा 3(3) के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। सीजीडब्ल्यूए कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उन व्यवहार्य क्षेत्रों में उद्योगों, बुनियादी ढांचा इकाइयों और खनन परियोजनाओं को भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान करता है, जहां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विनियमन नहीं किया जा रहा है। सीजीडब्ल्यूए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को देश भर में सभी 'गंभीर' और 'अति-दोहित' मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक / तालुक / फिरका / जिला / घाटी / द्वीप / क्षेत्र / तहसील, आदि) और उनके अधिकार क्षेत्र के तहत सभी सरकारी भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन (आरटीआरडब्ल्यूएच) को अपनाने के लिए अधिसूचनाएं और निर्देश भी जारी करता है।

जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा जल संरक्षण, भूजल के नियंत्रण और विनियमन तथा वर्षा जल संचयन/कृत्रिम पुनर्भरण/जल उपयोग दक्षता आदि को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों को यूआरएल पर देखा जा सकता है:

https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82/uploads/2024/07/20240716706354487.pdf

*****